सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 14, मंगलवार, शाके 1944-जुलाई 05, 2022
Asadha 14, Tuesday , Saka 1944- July 05, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान, जयपुर

.सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट.

;भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

धारा 4 से 9 नियम 2016 के नियम 4 से 10

जयपुर, जून 21, 2022

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत Rehabitation of Jhalrapatan- Gindor- Railway Station-Jhirniya-Kishanpuriya-Durgpura-Gagron (Mega Highway MDR-227 Km. 0/0 to 10500 अधिग्रहित होने वाली निम्न वर्णित भूमियों का अर्जन किया जाना है। सूची में अंकित भूमियों का विवरण निम्न प्रकार हैः

निजी भूमियां है0	सिवायचक भूमिया है0	चरागाह भूमियां है0	वन भूमियां है0	सरकारी भूमियां है0	योग है0
1.0580	-	-	0.999	1.5968	**3.6538**

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ के आदेश क्रमांक 1181/पीडब्ल्यूडी/झालावाड दिनांक 08.10.2020 द्वारा गठित कमेटी में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करने लिये Right to Fair Compensation and Trasparency land Acquisition Rehabilitation and Resettelment Rules 2016 के नियम 3 (1) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति का आवेदन पत्र के संलग्न सूची में अंकित भूमियों का मौका निरीक्षण किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सूचियां को सम्बन्धित ग्राम पंचायत व ग्रामो में चस्पा कराया गया है भूमियों का विवरण निम्न प्रकार हैं।

निजी भूमि

ग्राम रायपुर ग्राम पंचायत सलोतिया निजी भूमि है.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0
611/273	0.0708	612/273	0-0322	609/269	0.0422	610/269	0.0506
619/244	0.0822	644/116	0.0153	473/98	0.0381	99	0.0103
97	0.0033	96	0.0375	475/94	0.0419	606/91	0.0613

433/71	0.1411	72	0.0086	579/65	0.0202	595/74	0.0328
594/74	0.0508	461/63	0.0452	483/61	0.0016	59/410	0.0137
487/60	0.0531	439/57	0.0134	616/33	0.0480	625/34	0.0213
35	0.0088	621/600	0.0117	441/275	0.1020	-	-

सरकारी भूमि

क्षेत्रफल सरकारी भूमि है0

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल है0
रायपुर	541/275	0.0253	630/253	0.0540	629/253	0.0579	248	0.0025
	117	0.0080	632/119	0.1037	637/120	0.0079	287	0.0349
	288	0.1273	294	0.0163	519/295	0.0075	256	0.0080
	531/315	0.0472	511/249	0.0820	515/291	0.0622	518/293	0.0379
	316	0.0015	552/245	0.0037	558/237	0.0074	474/98	0.0126
	462/63	0.0066	488/60	0.0195	460/58	0.0069	486/59	0.0244
	440/57	0.0010	464/36	0.0126	608/91	0.0152	483/61	0.0017
	601/37	0.0787	73	0.0119	624/64	0.1006	-	-
बालगढ़	148/86	0.0074	151/87	0.0155	153/88	0.0564	147/84	0.1057
	145/83	0.1770	161/82	0.0426	160/82	0.0429	81	0.1623

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 4 से 9 नियम 2016 के नियम 4 से 10 के अन्तर्गत सड़क निर्माण में अधिग्रहित किये जाने वाली भूमियो 1.0580 है0 के सन्दर्भ में कार्यालय ग्राम पंचायत सलोतिया में ग्राम पंचायत बैठक में दिनांक 05.11.2020 में समस्त ग्रामवासियों की मौजुदगी में विचार विमर्श किया गया प्रस्ताव की प्ररति का कमेटी द्वारा अध्ययन किया गया। प्रस्तावित भूमि अर्जन योजना के विधीसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक है सड़क निर्माण क्षेत्र में अर्जन की जाने वाली भूमि से कोई परिवार/कुटुम्ब विस्थापित नही होना पाया गया हैए ना ही किसी भी परिवार के पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित हैए भूमि अर्जन विधीसम्मत और सामुदायिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक होने एवं कार्य से छूट की अनुशंसा कोरम द्वारा की गई तथा इस प्रयोजन के लिये सर्वसम्मति से अनापत्ति दी गई है।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ के आदेश क्रमांक 1181/पीडब्ल्यूडी/झालावाड दिनांक 08.10.2020 के क्रम में भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 से 9 नियम 2016 के नियम 4 से 10 के अनुसार अधिग्रहित होने वाली भूमियों 1.0580 है0 का मौका निरीक्षण कर एवं बैठक ग्राम पंचायत सलोतिया झा0 पाटन के प्रस्तावों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि अर्जन सड़क निर्माण एक विधीसम्मत और सद्भाविक लोक प्रयोजन है जिसके कारण पहचान की गई भूमि का अर्जन आवश्यक है सड़क निर्माण क्षेत्र में

अर्जन की जाने वाली भूमि से कोई परिवार/कुटुम्ब विस्थापित नही होना पाया गया है, ना ही किसी भी परिवार के पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है, भूमि अर्जन विधीसम्मत और सामुदायिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक होने एवं कार्य शीघ्र पूरा करने को दृष्टिगत रखते हुऐ सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झालावाड़ एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महोदय, झालावाड़ की सेवा में प्रेषित है।

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।